न्यायालय जनपद न्यायाधीश, इटावा।

उपस्थित - **श्री राजीव गोयल, एच०जे०एस०**

पंचायत निगरानी सं०-**01/2017**

ओमकार पुत्र महावीर सिंह निवासी-ग्राम कुंजपुर परगना व तहसील जसवंतनगर, जनपद इटावा।

...... निगरानीकर्ता।

प्रति

1. संतोष कुमार पुत्र किताव सिंह निवासी ग्राम कुंजपुर परगना व तहसील जसवंतनगर, जिला इटावा।
2. अरूण कुमार पुत्र राज बहादुर निवासी नगला जारी खेड़ा ग्राम कुंजपुर परगना व तहसील जसवंतनगर जिला इटावा।
3. गुलाव सिंह पुत्र छोटे लाल निवासी नगला जारी खेड़ा मौजा कुंजपुर परगना व तहसील जसवंतनगर जिला इटावा।
4. देवेन्द्र सिंह पुत्र विजय वहादुर निवासी नगला जारी खेड़ा मौजा कुंजपुर परगना व तहसील जसवंतनगर जिला इटावा।
5. राजेन्द्र सिंह पुत्र बलवीर सिंह निवासी ग्राम कुंजपुर परगना व तहसील जसवंतनगर जिला इटावा।
6. विश्राम सिंह पुत्र किताव सिंह निवासी ग्राम कुंजपुर परगना व तहसील जसवंतनगर जिला इटावा।
7. शिव कुमार पुत्र महावीर निवासी ग्राम कुंजपुर परगना व तहसील जसवंतनगर जिला इटावा।
8. फौरन सिंह पुत्र साहब सिंह निवासी ग्राम कुंजपुर परगना व तहसील जसवंतनगर जिला इटावा।

........विपक्षीगण।

निर्णय

1. उक्त पंचायत निगरानी अवर न्यायालय परगनाधिकारी/नियत प्राधिकारी, जसवंतनगर जनपद इटावा के निर्णय/आदेश दि०-05.12.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में निगरानीकर्ता के अनुसार अवर न्यायालय का आलोच्य आदेश विधि व तथ्यों के विरूद्ध है तथा क्षेत्राधिकार से परे है, जो हर स्थिति में निरस्त होने योग्य है। विपक्षी सं०-1 ने अन्तर्गत धारा-12 ग उ०प्र०पंचायत राज अधिनियम याचिका प्रस्तुत की, जिसमें निगरानीकर्ता विपक्षी सं०-1 है, जिसमें निगरानीकर्ता ने अवर न्यायालय में अपना उत्तरपत्र प्रस्तुत किया तथा दि०-08.01.2016 को अवर न्यायालय ने उक्त मामले में वाद बिन्दु निर्मित किये। दि०-10.08.2016 को अवर न्यायालय में निगरानीकर्ता ने इस आशय का

प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया कि विधि एवं तथ्यों के अनुकूल कुछ वाद बिन्दु निर्मित होने से रह गये हैं, अतः अतिरिक्त वाद बिन्दु निर्मित कर दिये जायें, परन्तु अवर न्यायालय ने उक्त प्रार्थनापत्र निरस्त करके ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है, जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है। यह भी कहा गया है कि दि०-01.08.2016 को वाद बिन्दु सं०-1 अवर न्यायालय द्वारा नकारात्मक निर्मित करके अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या सारवान अनियमितता से कार्य किया गया है। निगरानीकर्ता ने अपने प्रार्थनापत्र दि०-10.08.2016 में जिन अतिरिक्त वाद बिन्दुओं को प्रस्तावित किया था, उनसे सम्बंधित कथन निगरानीकर्ता द्वारा अवर न्यायालय में प्रस्तुत अपने उत्तरपत्र के पैरा-3, 4, 12, 13, 23 व 28 आदि में अंकित हैं। वाद बिन्दु निर्मित किये जाने सम्बंधी समस्त कार्यवाही अवर न्यायालय में विधि के विरूद्ध हुयी है तथा विधि में निहित प्रक्रिया का घोर उल्लंघन अवर न्यायालय ने न्याय प्रक्रिया के अनुपालन में किया गया है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी स्वीकार कर अवर न्यायालय के आदेश दि०-05.12.2016 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

3. उक्त प्रार्थना पर मैंने निगरानीकर्ता के अधिवक्ता व विपक्षी के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

4. पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षी सं०- 1 संतोष कुमार द्वारा अवर न्यायालय में निर्वाचन याचिका सं०-टी2016032203351 संतोष कुमार बनाम ओमकार आदि ग्राम कुंजपुर के प्रधान के सम्बंध में निगरानीकर्ता ओमकार के पक्ष में की गयी घोषणा अवैध घोषित करत हुये, उसे ओमकार से अधिक वैध मत मिलने के कारण, उसे प्रधान घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी। उक्त मामले में अवर न्यायालय में निगरानीकर्ता उपस्थित हुआ तथा उसकी ओर से उत्तरपत्र प्रस्तुत किया गया। अन्य विपक्षीगण उपस्थित नहीं हुये तथा अवर न्यायालय के आदेश दि०-21.07.2016 के द्वारा उनका उत्तर पत्र प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया गया। उक्त मामले में अवर न्यायालय में दि०-01.08.2016 को 06 वाद बिन्दु निर्मित किये गये।

5. दि०-10.08.2016 को निगरानीकर्ता द्वारा अवर न्यायालय में प्रार्थनापत्र 28क इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि उक्त चुनाव याचिका एवं दाखिल उत्तरपत्र के अध्यान के उपरांत याचिका में निम्नलिखित वाद बिन्दु और उत्पन्न होते हैं, प्रार्थनापत्र में वर्णित 09 वाद बिन्दु बनाये जाने का अनुरोध अवर न्यायालय में किया गया। उक्त प्रार्थनापत्र पर याची की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गयी। उभय पक्ष को सुनने के उपरांत अवर न्यायालय द्वारा अपने आदेश दि०-05.12.2016 के द्वारा निगरानीकर्ता का उक्त प्रार्थनापत्र इस निष्कर्ष के साथ निरस्त कर दिया गया है कि अवर न्यायालय द्वारा 06 वाद बिन्दु निर्मित किये जा चुके हैं, जिनके आधार पर उभय पक्ष की आपत्तियों व प्रति-आपत्तियों का उचित

निर्धारण सम्भव है तथा किसी अतिरिक्त वाद बिन्दु बनाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी आदेश से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता द्वारा यह यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

6. उक्त मामले में विपक्षीगण द्वारा यह आपत्ति की गयी है कि उक्त निगरानी पोषणीय नहीं है। जब कि निगरानीकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि उक्त निगरानी पोषणीय है। इस सम्बंध में हमें सिविल प्रक्रिया संहिता में उपलब्ध प्रावधानों का अवलोकन करना होगा।

7. आदेश–14 सिविल प्रक्रिया संहिता में वाद बिन्दु निर्मित करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार जब किसी विधि अथवा तथ्य के प्रश्न को एक पक्ष कहता है और दूसरा पक्ष उससे इंकार करता है, तो ऐसी स्थिति में उक्त प्रश्न पर वाद बिन्दु निर्मित होता है। आदेश 14 नियम 1 (3) सिविल प्रक्रिया संहिता में यह प्रावधान है कि एक पक्षकार द्वारा प्रतिज्ञात और दूसरे पक्षकार द्वारा प्रत्याखात, हर एक प्रतिपादना एक सुभिन्न विवाद्यक का विषय होगी। इस प्रकार एक पक्षकार द्वारा कोई कथन किया गया और दूसरे पक्षकार द्वारा उससे इंकार करने पर, हर एक तात्विक प्रश्न पर अलग–अलग वाद बिन्दु निर्मित होंगे।

8. आदेश–14 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता में निम्न प्रावधान हैः–

आदेश 14 नियम 5 ***विवाद्यकों का संशोधन और उन्हें काट देने की शक्ति*** *(1) न्यायालय डिक्री पारित करने से पूर्व किसी भी समय ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, विवाद्यकों में संशोधन कर सकेगा या अतिरिक्त विवाद्यकों की विरचना कर सकेगा और सभी ऐसे संशोधन या अतिरिक्त विवाद्यक जो पक्षकारों के बीच विवादग्रस्त बातों के अवधारण के लिये आवश्यक हों, इस प्रकार संशोधित किये जायेंगे या विरचित किये जायेंगे।*

(2) न्यायालय डिग्री पारित करने से पूर्व किसी भी समय किन्ही विवाद्यकों को काट सकेगा, जिनके बारे में उसे प्रतीत होता है कि वे गलत तौर पर विरचित या पुनर्स्थापित किये गये हैं।

9. इस प्रकार आदेश–14 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता में यह स्पष्ट प्रावधान है कि न्यायालय डिक्री पारित करने से पूर्व किसी भी समय वाद बिन्दु में संशोधन कर सकता है अथवा अतिरिक्त वाद बिन्दु निर्मित कर सकता है।

10. आदेश–14 नियम 2 सिविल प्रक्रिया संहिता में निम्न प्रावधान हैः–

आदेश–14 नियम 2 न्यायालय द्वारा सभी विवाद्यकों पर निर्णय सुनाया जाना–(1) इस बात के होत हुये भी कि वाद का निपटारा प्रारम्भिक विवाद्यक पर किया जा सकेगा, न्यायालय उप नियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुये सभी विवाद्यकों पर निर्णय सुनायेगा।

(2) जहां विधि विवाद्यक और तथ्य विवाद्यक दोनों एक ही वाद में पैदा हुये हैं और न्यायालय की यह राय है कि मामले या उसके किसी भाग का निपटारा केवल विधि विवाद्यक के आधार पर किया जा सकता है, वहां यदि वह विवाद्यक–

(क) न्यायालय की अधिकारिता अथवा

(ख) तत्समय प्रवत्त किसी विधि द्वारा सृष्ट वाद के वर्जन,

से सम्बंधित है, तो वह पहले उस विवाद्यक का विचारण करेगा और उस प्रयोजन के लिये यदि वह ठीक समझे, तो वह अन्य विवाद्यकों का निपटारा तब तक के लिये मुल्तवी कर सकेगा, जब तक कि उस विवाद्यक का अवधारण न कर दिया गया हो और उस वाद की कार्यवाही उस विवाद्यक के विनिश्चय के अनुसार कर सकेगा।

11. इस प्रकार आदेश 14 नियम 2 सिविल प्रक्रिया संहिता में स्पष्ट रूप से यह अंकित है कि न्यायालय उप नियम 2 के अधीन रहते हुये सभी वाद बिन्दुओं पर निर्णय सुनायेगा। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि हर एक वाद बिन्दु पर अलग–अलग निर्णय दिया जायेगा।

12. इस प्रकार आदेश 14 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत वाद बिन्दु का निर्धारण, वाद का मुख्य आधार है। पक्षकारों के मध्य जो भी विवाद हैं, वह केवल वाद बिन्दुओं के माध्यम से ही तय किये जा सकते हैं। वाद बिन्दुओं के निर्णय से ही पक्षकारों के मध्य के विवाद को तय किया जा सकता है तथा वही निर्णय करने का आधार होता है। यदि किसी कारण से कोई बिन्दु छूट जाता है, तो न्यायालय उस पर किसी भी समय वाद बिन्दु बना सकता है और उसको निर्णीत कर सकता है, जिससे पक्षकारों के मध्य के सभी विवादों का निपटारा किया जा सके।

13. इस प्रकार वाद बिन्दु का निर्धारण अथवा अतिरिक्त वाद बिन्दु निर्मित करना, वाद के निर्णय के लिये एक आवश्यक तत्व है, जिससे कि पक्षकारों मध्य के सभी विवाद तय हो जायें। यदि किसी वाद बिन्दु को बनाने से मना किया जाये, तो उसका प्रभाव यह हो सकता है कि हम किसी पक्ष के आवश्यक अधिकार अथवा हित को निर्णीत करने से मना कर दें और ऐसी स्थिति में ऐसा कोई वाद बिन्दु, जिससे किसी पक्षकार का आवश्यक हित निर्णीत होना है, यदि वह नहीं बनाया जायेगा, तो वह निश्चित रूप से वाद निर्णय की परिभाषा में आयेगा। अतः ऐसी स्थिति में अतिरिक्त वाद बिन्दु बनाने अथवा न बनाने का आदेश एक अन्तर्वर्ती आदेश नहीं माना जोयगा।

14. उक्त सम्बंध में विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा मोदी स्पनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कं० व अन्य बनाम मैसर्स लाधा राम एण्ड कं० 1978 ए०सी०जे० पृष्ठ–214 की नजीर प्रस्तुत की गयी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह विनिर्णय

दिया गया है कि वाद बिन्दु को बनाने अथवा उसमें संशोधन करने अथवा अतिरिक्त वाद बिन्दु को बनाने से मना कर देने से किसी पक्षकार का कोई अधिकार एवं हित प्रभावित नहीं होता है और माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है।

15. विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा एक अन्य नजीर अनिल कुमार जैन बनाम श्रीमती कमला देवी व अन्य 2013 इला०सी०जे० पृष्ठ–595 प्रस्तुत की गयी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह विनिर्णय दिया गया है कि सिविल रिवीजन अथवा प्रकीर्ण अपील को निर्णीत करने के लिये मूल पत्रावली को मंगाया जाना आवश्यक नहीं है।

16. विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा एक अन्य नजीर मै०ग्रीन वेली सामूहिक कृषि समिति लि० बनाम सुभाष चन्द्र व एक अन्य 2016 (1) सी०ए०आर०पृष्ठ–705 प्रस्तुत की गयी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह विनिर्णय दिया गया है कि यदि किसी आदेश को पारित करने में कोई तात्विक, विधिक अथवा क्षेत्राधिकार सम्बंधी त्रुटि प्रकट नहीं होती है, तो ऐसे किसी आदेश में निगरानी न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

17. विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा एक अन्य नजीर उमेश कुमार गुप्ता व एक अन्य बनाम मैसर्स श्री गिर्राज फूड प्रोडक्टस 2013 इला०सी०जे० पृष्ठ–816 प्रस्तुत की गयी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह विनिर्णय दिया गया है कि किसी आदेश के विरूद्ध निगरानी तभी पोषणीय है, जब कि यह सिद्ध किया जाये कि यदि उक्त आदेश रहता है, तो निगरानीकर्ता को न्याय नहीं मिलेगा।

18. इसके विरूद्ध निगरानी के अधिवक्ता द्वारा बी०एल०एम०एस० होटल एण्ड रिसोर्ट प्रा०लि० व एक अन्य बनाम तेज भान चंघानी व एक अन्य 2015 इला०सी०जे० पृष्ठ–445 की नजीर प्रस्तुत की गयी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह विनिर्णय दिया गया है कि न्यायालय को आदेश 14 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अतिरिक्त वाद बिन्दु बनाने का पूर्ण क्षेत्राधिकार है और यदि अवर न्यायालय द्वारा अतिरिक्त वाद बिन्दु नहीं बनाया गया, तो यह माना जायेगा कि अवर न्यायालय ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया है और ऐसी स्थिति में उस आदेश के विरूद्ध निगरानी दायर की जा सकती है तथा माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि अतिरिक्त वाद बिन्दु को न बनाना, वाद निर्णय की परिभाषा में आयेगा। उक्त नजीर 2015 की है। अतः ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तावित अतिरिक्त वाद बिन्दु को न बनाना, वाद निर्णय की परिभाषा के तहत आता है और उसके विरूद्ध निगरानी पोषणीय है। इस सम्बंध में विधि के आवश्यक प्रावधानों की भी विवेचना ऊपर की जा चुकी है। अतः ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त मामले में निगरानी पोषणीय है और विपक्षी

की इस आपत्ति में कोई बल नहीं है कि निगरानी पोषणीय नहीं है।

19. उक्त मामले में पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अवर न्यायालय द्वारा दि०–01.08.2016 को 06 वाद बिन्दु निर्मित किये गये हैं। उक्त वाद बिन्दु निर्मित होने के पश्चात निगरानीकर्ता द्वारा 09 अतिरिक्त वाद बिन्दुओं को निर्मित किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र 28 क प्रस्तुत किया गया था। उसका कहना था कि चुनाव याचिका एवं दाखिल उत्तरपत्र के आधार पर उक्त अतिरिक्त वाद बिन्दु उत्पन्न होते हैं, अतः उन्हें बनाया जाये और उसके द्वारा 09 अतिरिक्त वाद बिन्दु प्रस्तावित किये गये। अवर न्यायालय ने अपने आदेश दि०–05.12.2016 के द्वारा यह अंकित करते हुये कि उक्त सभी 09 वाद बिन्दु पूर्व में बनाये गये 06 वाद बिन्दु में समाविष्ट हैं और अन्य किसी अतिरिक्त वाद बिन्दु के बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है, उक्त प्रार्थनापत्र खारिज किया है।

20. इस सम्बंध में हमें पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचनों को देखना होगा कि पक्षकारों के मध्य मुख्य विवाद किस प्रश्न पर है और क्या कोई प्रश्न ऐसा है, जिसके सम्बंध में यदि निर्णय नहीं किया गया, तो वाद का अन्तिम रूप से निस्तारण नहीं हो पायेगा? इस सम्बंध में निगरानीकर्ता द्वारा चुनाव याचिका के पैरा–3(अ) की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया, जिसमें निगरानीकर्ता द्वारा यह कहा गया कि मतगणना में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार व अनुचित प्रलाभ का प्रयोग किया गया है और गलत मतगणना करके प्रतिवादी ओमकार को बेईमानी से जिताया गया है। जब कि विपक्षी/निगरानीकर्ता ने अपने प्रतिवादपत्र में इससे इंकार किया है। इस प्रकार उक्त याचिका में स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार व अनुचित प्रलाभ का प्रश्न उठाया गया है, जो कि चुनाव याचिका निर्णीत करने के लिये एक आवश्यक तत्व है और चुनाव याचिका अकेले इसी प्रश्न के आधार पर निर्णीत की जा सकती है। अतः उक्त सम्बंध में वाद बिन्दु बनाया जाना आवश्यक है। अवर न्यायालय ने अपने आदेश में यह कहकर त्रुटि की है कि चुनाव में भ्रष्टाचार का प्रश्न वाद बिन्दु सं०–1 व 2 में कवर हो जाता है। चूँकि अवर न्यायालय द्वारा जो वाद बिन्दु सं०–1 व 2 बनाये गये हैं, वह केवल मतपत्रों की जांच व गणना के सम्बंध में है। उनमें भ्रष्टाचार अथवा अनुचित प्रलाभ का कोई कथन नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त मामले में निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त वाद बिन्दु सं०–1 बनाया जाना आवश्यक है। चूँकि यह वाद बिन्दु ऐसा है, जो कि इस वाद के प्रभावकारी निर्णय के लिये आवश्यक है, अतः ऐसी स्थिति में अवर न्यायालय को चाहिये था कि वह उक्त वाद बिन्दु को बनाता। उक्त वाद बिन्दु को निर्मित न कर, अवर न्यायालय ने त्रुटि की है।

21. निगरानीकर्ता द्वारा जो प्रस्तावित अतिरिक्त वाद बिन्दु सं०–2 बताया गया है, वह चुनाव में हुयी धांधली व गड़बड़ी से सम्बंधित है। उक्त वाद बिन्दु, वाद बिन्दु सं०–1 में निहित हो जाता है, अतः प्रस्तावित वाद बिन्दु सं०–2

बनाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः अवर न्यायालय ने इस वाद बिन्दु को न बनाकर कोई त्रुटि नहीं की है।

22. निगरानीकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित वाद बिन्दु सं०–3, 4 व 8 कानूनी प्रावधानों से सम्बंधित हैं। इस सम्बंध में अवर न्यायालय द्वारा वाद बिन्दु सं०–4 बनाया गया है और उन्होंने सभी कानूनी प्रावधानों का एक ही वाद बिन्दु निर्मित किया है। इस प्रकार उक्त सभी कानूनी प्रश्न उक्त वाद बिन्दु सं०–4 में निर्णीत किये जा सकते हैं। अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तावित वाद बिन्दु सं०–3, 4 व 8 न बनाकर अवर न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है।

23. पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तावित वाद बिन्दु सं०–5 व 7 अनुतोष प्राप्त करने से सम्बंधित हैं और इस सम्बंध में अवर न्यायालय द्वारा वाद बिन्दु सं०–5 बनाया गया है। इस प्रकार प्रस्तावित वाद बिन्दु सं०– 5 व 7 पूर्व में निर्मित वाद बिन्दु सं०–5 के अन्तर्गत आता है। ऐसी स्थिति में अवर न्यायालय ने वाद बिन्दु सं०–5 व 7 न बनाकर कोई त्रुटि नहीं की है।

24. प्रस्तावित वाद बिन्दु सं०–9 अवर न्यायालय द्वारा बनाये गये वाद बिन्दु सं०–6 के अन्तर्गत आता है। ऐसी स्थिति में अवर न्यायालय द्वारा प्रस्तावित वाद बिन्दु सं०–9 न बनाने में कोई त्रुटि नहीं की है।

25. प्रस्तावित वाद बिन्दु सं०–6 पक्षकारों के मिस ज्वाइंडर व नान ज्वाइंडर से सम्बंधित हैं, जिससे यह निर्णीत होना है कि क्या कोई पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है अथवा किसी व्यक्ति को अनावश्यक पक्षकार बना दिया गया है। चूँकि यह बिन्दु निगरानीकर्ता द्वारा उठाया गया है, अतः ऐसी स्थिति में अवर न्यायालय को चाहिये था कि वह प्रस्तावित वाद बिन्दु सं०–6 को अलग से बनाते, क्योंकि यह बिन्दु यह देखने के लिये आवश्यक है कि कोई व्यक्ति उक्त मामले में आवश्यक पक्षकार है अथवा किसी को अनावश्यक पक्षकार बना दिया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अवर न्यायालय द्वारा प्रस्तावित वाद बिन्दु सं०–6 न बनाकर त्रुटि की है।

26. अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश पूर्णतया विधिक नहीं है। उनके द्वारा ऊपर उल्लिखित वाद बिन्दु न बनाकर त्रुटि की है। अवर न्यायालय का निर्देशित किया जाता है कि वह निगरानी में दिये गये निष्कर्षों के अनुसार उक्त मामले में, उक्त प्रार्थनापत्र 25 क पर पुनः आदेश पारित करें।

27. अतः उपरोक्त परिस्थितियों में अवर न्यायालय का आदेश दि०– 05.12.2016 विधिक नहीं है। अतः उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानी स्वीकार की जाती है। अवर न्यायालय का आदेश दि०–05.12.2016 निरस्त किया जाता है। अवर न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह निगरानी में दिये गये निष्कर्षों के अनुसार उक्त मामले में पक्षकारों को पुनः सुनकर, पुनः आदेश पारित करें।

अवर न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब वापस भेजी जाये। पक्षकार अवर न्यायालय में दि०–02.08.2017 को उपस्थित हों।

(राजीव गोयल)

दि०–19.07.2017

जनपद न्यायाधीश,

इटावा।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

(राजीव गोयल)

दि०–19.07.2017

जनपद न्यायाधीश,

इटावा।

निगरानीकर्ता/वादीगण की ओर से अवर न्यायालय में मूलवाद सं०-478/2006 बदन सिंह प्रति दशरथ सिंह आदि स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादपत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत दि०-05.03.2008 को 07 वाद बिन्दु बनाये गये।

5. दौरान वाद वादीगण की ओर से प्रार्थनापत्र सं०-84 ग इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि उक्त वाद में तनकी नं०-4 क्या वाद आदेश नियम 11 जा०दी० से बाधित है? कतई गलत एवं विधि विधान के विरूद्ध निर्धारित की गयी है, क्योंकि वाद कारण का वाद बिन्दु किसी विधि व विधान से सम्बंधित नहीं है और आदेश 7 नियम 11 लागू नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा आदेश 7 नियम 11 सि०प्र०संहिता का आधार, वाद कारण की बाबत प्रतिवादपत्र में लेना विधि-विधान के प्रतिकूल है। अतः वाद बिन्दु सं०-4 डिलीट किया जाये।

6. अवर न्यायालय द्वारा वादीगण को सुनने के उपरांत प्रार्थनापत्र 84 ग इस निष्कर्ष के साथ निरस्त कर दिया गया है कि वाद बिन्दु सं०-4 उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निर्मित किया गया है, जिसको दोनों पक्षों को सुनकर गुणावगुण के आधार पर ही निस्तारित किया जाना न्यायसंगत होगा। इसी आदेश से क्षुब्ध होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

7. आदेश 7 नियम 11 में निम्न प्राविधान हैः-

वादपत्र का नामंजूर किया जाना-वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूद किया जायेगा-

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है;

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी

मूल्यांकन को ठीक करने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय में नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है;

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है, किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प-पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प-पत्र देने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है;

(घ) जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है;

((ड.) जहां यह दो प्रतियो में फाइल नहीं किया जाता है;

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है:)

सि०प्र०संहिता के आदेश 7 नियम 11(क) से यह स्पष्ट है कि उस समय वाद नामंजूर कर दिया जायेगा, जब कि वाद हेतुक प्रकट नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में निगरानीकर्तागण का यह कहना कि उक्त वाद बिन्दु नहीं बन सकता है और आदेश 7 नियम 11 सि०प्र०संहिता लागू नहीं होता है, उचित नहीं है। चूँकि विपक्षी/प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिवाद-पत्र के पैरा-12 में स्पष्ट रूप से इस बात को कहा गया है कि वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है तथा वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सि०प्र०संहिता से वाधित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। इस प्रकार उक्त प्रश्न विपक्षी/प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिवादपत्र में उठाया गया है। अतः ऐसी स्थिति में निगरानीकर्तागण का यह कहना उचित नहीं है कि आदेश 7 नियम 11 उक्त मामले में लागू नहीं होता है।

8. पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अवर न्यायालय द्वारा दि०-05.03.2008 को वाद बिन्दु बनाये गये हैं तथा उनके द्वारा अपने आदेश दि०-01.08.2011 को वाद बिन्दु सं०-4 के सम्बंध में यह उल्लिखित किया गया है कि वाद बिन्दु सं०-4, जो कि आदेश 7 नियम 11 सि०प्र०संहिता से वाद वाधित होने के सम्बंध में बना हुआ है, उक्त वाद बिन्दु के निस्तारण से पूर्व साक्ष्य रिकार्ड पर आना आवश्यक है, जिससे स्पष्ट हो सकेगा कि वादी को प्रस्तुत वाद का कोई कारण प्राप्त है अथवा नहीं। अतः उनके द्वारा उक्त वाद बिन्दु को प्राथमिक रूप से निस्तारित नहीं किया गया है। यह बात सही है कि कोई वाद कारण प्राप्त होता है अथवा नहीं, उक्त प्रश्न का निर्धारण करने में विधि एवं तथ्य, दोनों ही प्रश्न अन्तवर्लित है। अतः उक्त बिन्दु के निर्धारण के लिये साक्ष्य का आना आवश्यक है।

9. जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिवादपत्र में वाद कारण न होने के सम्बंध में प्रश्न उठाया गया है तथा उक्त वाद

को आदेश 7 नियम 11 सि०प्र०संहिता से वाधित होना बताया गया है, जिसके सम्बंध में वाद बिन्दु भी बन चुका है। अतः ऐसी स्थिति में निगरानीकर्तागण का यह कहना कि उक्त वाद बिन्दु प्रतिवादपत्र के प्रतिकूल है, उचित नहीं है। वाद बिन्दु सं०-4 नियमानुसार अवर न्यायालय द्वारा बनाया गया है। इसको डिलीट किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में अवर न्यायालय द्वारा 84 ग प्रार्थनापत्र को खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अवर न्यायालय का आदेश पूर्णतया विधिक है। उसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

10. अतः उपरोक्त परिस्थितियों में निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

निगरानी खारिज की जाती है। अवर न्यायालय का आदेश दि०-05.08.2016 पुष्ट किया जाता है।

अवर न्यायालय की पत्रावली वापस भेजी जाये। उभय पक्ष अवर न्यायालय में दि०-30.05.2017 को उपस्थित हों।

(राजीव गोयल)
दि०-09.05.2017 जनपद न्यायाधीश,
इटावा।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

(राजीव गोयल)
दि०-09.05.2017 जनपद न्यायाधीश,
इटावा।